न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09 / 2019 राजस्व वाद

अनवान

श्रीमति देऊ पत्नि श्री बालूराम खारोल, उम्र बालिग निवासी कुराचा का खेड़ा (बैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। -----वादीया।

वनाम

1–श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल, आयु वयस्क,नि0 कुराचा का खेड़ा (बैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–सुश्री सुशीला पुत्री श्री जगरूप खारोल, नाबालिग जरिये बविलायत माता श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल, आयु वयस्क, निवासी कुराचा का खेड़ा (बैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3–सुश्री पूजा पुत्री श्री जगरूप खारोल, नाबालिग जरिये बविलायत माता श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल, आयु वयस्क, निवासी कुराचा का खेड़ा (बैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

4–सुश्री सोनिया पुत्री श्री जगरूप खारोल,नाबालिग जरिये बविलायत माता श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल, आयु वयस्क,नि.कुराचा का खेड़ा (बैमाली)तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

5–श्रीमति नन्दु पत्नि बालू खरोल आयु वयस्क, निवासी कुराचा का खेड़ा (बैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा तहसील करेड़ा। --प्रतिवादीगण।

उपस्थितः–

1–श्री मुकेश जैन – अधिवक्ता वादी।

2–प्रतिवादी सं. 1 से 5 – एक पक्षीय कार्यवाही।

वाद पत्र अन्तर्गत 88–89–188–92(ए)रा0का0अधिनियम 1955

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 02.02.2021**

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत 88–89–188–92 रा0का0अधिनियम बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को विधिवत नोटिस जारी किये गये, जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तामील प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 से 5 को समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में वादीया के अधिवक्ता उपस्थित। वादीया के अधिवक्ता ने प्रकरण में वादीया एवं गवाह की साक्ष्यस्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बैमाली पटवार हल्का बैमाली में श्री जगरूप पुत्र किशन खारोल के खातेदारी अधिकार–आधिपत्य की सं0 2065 से 2068 की जमाबंदी में आ0नं. 538 रकबा 0.08 बीघा, 539 रकबा 0.07 बीघा, 547 रकबा 0.09 बीघा, 566 रकबा 1.14 बीघा, 571 रकबा 1.06 बीघा, 574 रकबा 1.01 बीघा, 575 रकबा 0.18 बीघा, 577 रकबा 0.16 बीघा, 578 रकबा 0.11 बीघा, 584 रकबा 1.01 बीघा, 585 रकबा 1.02 बीघा, 3684/566 रकबा 1.09 बीघा, 582 रकबा 3.07 बीघा कुल किता 13 रकबा 14.09 बीघा भूमि श्री जगरूप पुत्र किशन खरोल का 1/6 हक हिस्सा निहित था व है। श्री जगरूप पिता किशन खारोल ने उक्त आराजियात में से आ.नं. 547 रकबा 0.09 बीघा, आ.नं. 566 रकबा 1.14 बीघा, आ.नं. 571 रकबा 1.06 बीघा, आ.नं. 574 रकबा 1.01 बीघा, आ.नं. 575 रकबा 0.18 बीघा, आ.नं. 577 रकबा 0.16 बीघा, आ.नं. 578 रकबा 0.11 बीघा, 584 रकबा 1.01 बीघा, 585 रकबा 1.02 बीघा कुल किता–09 कुल रकबा 8.18 बीघा में से अपना सम्पूर्ण 1/6 हक हिस्सा सप्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 20/07/2009 से वादीया को किया गया। तथा विक्रयशुदा भूमि पर वादीया काबिज होकर निन्तर काश्त करती चली आ रही है। वादीया उक्त वादग्रस्त आराजीयात की पंजीकृत स्वामी होकर खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारीयों की भूल व गलती से उक्त वादग्रस्त आराजियात राजस्व अभिलेख में वादीया के नाम दर्ज नहीं हो पाई जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वादीया उक्त वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं इन्द्राज दुरूती द्वारा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में वादीया का नाम अंकित कराने की अधिकारिणी है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात का बिकाव करने के उपरांत जगरूप पिता किशन खारोल ने उक्त वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहने पर भी जगरूप पुत्र किशन खारोल ने अन्य आराजियात के साथ–साथ वादीया को विक्रय की गई आराजियात को प्रतिवादी सं0 5 को दिनांक 05.11.2009 को विक्रय कर दिया गया। उक्त तथाकथित विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं0 5 को कोई हक अधिकार आराजियात में उत्पन्न नहीं होते। श्री जगरूप द्वारा प्रतिवादी सं. 5 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत तथाकथित विक्रय पत्र सर्वथा फर्जी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर कोटड़ा

कूटरचित होकर पश्चात्वर्ती विकय पत्र की श्रेणी में आता है जो वादीया के मुकावले प्रारंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी सं0 5 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि वादीया ही वक्त कय से उक्त वादग्रस्त आराजियात पर काविज हो काश्त करती चली आ रही है जिससे भी उक्त तथाकथित विकय पत्र दिनांक 05.11.2009 वादीया के मुकाबले शून्य, अवैध एवं निष्प्रभावी है। श्री जगरूप ने उक्त वादग्रस्त आराजियात रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20/07/2009 के माध्यम से वादीया को विकय कर दी थी जिसमें उसका उक्त वादग्रस्त आराजियात में कोई स्वत्व शेष नहीं रहा। इस कारण यह भी घोषित किया जाना आवश्यक है कि जगरूप द्वारा प्रतिवादी सं. 5 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत तथाकथित विकय पत्र दिनांक 05.11.2009 वादीया के मुकाबले शून्य, अवैध एवं निष्प्रभावी है। उक्त तथाकथित पश्चात्वृति विकयपत्र के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रतिादी सं0 5 के नाम पर दर्ज हो जाने से प्रतिवादी सं0 5 उक्त वादग्रस्त आराजियात को खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित करने पर आमादा है एवं प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादीया को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने पर उतारू है जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्याज्ञा से पावंद किया जाना आवश्यक है। श्री जगरूप के देहांत पश्चात् प्रकरण में उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 1 लगायत है।

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद अनुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर जाकर यह घोषित किया जावे कि ग्राम बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आ.नं. 547, 566, 571, 574, 575, 577, 578, 584, 585 कुल किता–09 कुल रकबा 8.18 बीघा में से अपना सम्पूर्ण 1/6 हक हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे एवं इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा उक्तानसुार उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में वादीया का नाम अंकित करया जावे। तथा घोषणात्मक डिकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाकर श्री जगरूप पुत्र श्री किशन खारोल द्वारा प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 05/11/2009 वादीया के मुकावले अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। एवं स्थायी निषेद्याज्ञा की डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित एवं भारित नहीं करे। वादीया को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल न कर न अन्य से करावे एवं वादिया के कब्जे काश्त एवं उपभोग–उपभोग में दखलंदाजी नहीं न अन्य से करावे एवं प्रतिवादी सं0 6

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:59 IST
Reason: SelfAttested

को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पांवद कराया जावे कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं करे।

प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस पर मनन, साक्ष्य, उपलब्ध दस्तोवजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य है कि राजस्व ग्राम बैमाली पटवार हल्का बैमाली में श्री जगरूप पुत्र किशन खारोल के खातेदारी अधिकार–आधिपत्य की सं0 2065 से 2068 की जमाबंदी में आ0नं. 538 रकबा 0.08 बीघा, 539 रकबा 0.07 बीघा, 547 रकबा 0.09 बीघा, 566 रकबा 1.14 बीघा, 571 रकबा 1.06 बीघा, 574 रकबा 1.01 बीघा, 575 रकबा 0.18 बीघा, 577 रकबा 0.16 बीघा, 578 रकबा 0.11 बीघा, 584 रकबा 1.01 बीघा, 585 रकबा 1.02 बीघा, 3684/566 रकबा 1.09 बीघा, 582 रकबा 3.07 बीघा कुल किता 13 रकबा 14.09 बीघा भूमि श्री जगरूप पुत्र किशन खरोल का 1/6 हक हिस्सा निहित था व है। श्री जगरूप पिता किशन खारोल ने उक्त आराजियात में से आ.नं. 547 रकबा 0.09 बीघा, आ.नं. 566 रकबा 1.14 बीघा, आ.नं. 571 रकबा 1.06 बीघा, आ.नं. 574 रकबा 1.01 बीघा, आ.नं. 575 रकबा 0.18 बीघा, आ.नं. 577 रकबा 0.16 बीघा, आ.नं. 578 रकबा 0.11 बीघा, 584 रकबा 1.01 बीघा, 585 रकबा 1.02 बीघा कुल किता–09 कुल रकबा 8.18 बीघा में से अपना सम्पूर्ण 1/6 हक हिस्सा सप्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 20/07/2009 से वादीया को किया गया है। वादीया का क्रय शुदा आराजियात पर वक्त क्रय से ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 से 4 के पिता श्री जगरूप ने वादीया को दिनांक 20.07.2009 को विक्रय की गई आराजियात के पश्चात् दिनांक 05.11.2009 को अन्य आराजियात के साथ–साथ वादीया को विक्रय की गई आराजियात का भी प्रतिवादी सं. 5 को विक्रय कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता श्री जगरूप द्वारा प्रतिवादी सं0 5 को किया गया तथाकथित विक्रय पत्र वादीया के मुकाबले शून्य, अवैध, निष्प्रभावी है। वादीया ने अपनी साक्ष्य में उक्त तथ्यों को जरिये दस्तावेज प्रदर्श–4 एवं प्रदर्श–5 से प्रदर्शित कराया गया है। गवाह की साक्ष्य से श्री जगरूप द्वारा अपने 1/6 हक हिस्से की भूमि का प्रथम् विक्रय वादीया को दिनांक 20.07.2009 को किया गया है। वादीया का क्रयशुदा आराजियात पर वक्त भूमि क्रय से ही कब्जा काश्त है तथा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता श्री जगरूप पुत्र किशन खारोल द्वारा प्रतिवादी सं. 5 को दिनांक 05.11.2009 को किया गया विक्रय दस्तावेज पश्चात्वर्ती दस्तावेज की श्रेणी में होकर वादीया के मुकाबले शून्य, अवैध, निष्प्रभावी योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता श्री जगरूप द्वारा अपने 1/6 हक हिस्से की वादग्रस्त आराजियात का वादीया को दिनांक 20.7.2009 को जरिये पंजीकृत दस्तावेज से किये गये विक्रय की आराजियात के हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घौषित जाना न्यायोचित है। अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 547 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 566 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 571 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 574 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 575 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 577 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 578 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 584 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 585 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 09 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता जगरूप पुत्र श्री किशन खारोल के 1/6 हक हिस्से का वादीया को उसके पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20/07/2009 के वैध होने के आधार पर एवं प्रश्नगत आराजियात को जगरूप खारोल द्वारा पुनः प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में दिनांक 05.11.2009 को विक्रय किये जाने से पश्चात्वर्ती विक्रय अवैध होकर वादीया के मुकाबले शून्यकरणीय एवं निष्प्रभावी होने से वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं0 5 के नाम पर दर्ज वादग्रस्त आराजियात में से वादीया के कयशुदा उक्त आराजियात को प्रतिवादी सं0 5 के राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादीया के नाम पर इन आराजियात को खाते में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

यह निर्णय 02.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखंड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–09/2019 राजस्व वाद

अनवान

श्रीमति देऊ पत्नि श्री वालूराम खारोल, उम्र वालिग नि0कुराचा का खेड़ा (वैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। ———वादीया।

वनाम

1–श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल,आयु वयस्क,निवासी कुराचा का खेड़ा (वैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–सुश्री सुशीला पुत्री श्री जगरूप खारोल,नावालिग जरिये वविलायत माता श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल, आयु वयस्क, निवासी कुराचा का खेड़ा (वैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3–सुश्री पूजा पुत्री श्री जगरूप खारोल, नावालिग जरिये वविलायत माता श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल,आयु वयस्क, निवासी कुराचा का खेड़ा (वैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

4–सुश्री सोनिया पुत्री श्री जगरूप खारोल,नावालिग जरिये वविलायत माता श्रीमति धन्नी पत्नि श्री जगरूप खारोल,आयु वयस्क,नि.कुराचा का खेड़ा (वैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

5–श्रीमति नन्दु पत्नि वालू खरोल आयु वयस्क, नि0कुराचा का खेड़ा (वैमाली) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव करेड़ा तहसील करेडा। –प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत 88–89–188–92(ए)रा0का0अधिनियम 1955
वाद वावत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादीया श्री मुकेश जैन मिनजानिव मुददई व प्रतिवादी सं. 1 से 5 एकपक्षीय कार्यवाही मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89– 188–92(ए)राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर जाकर सरहद वेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आ0नं0 547 रकवा 09 विस्वा, आ0नं0 566 रकवा 01 वीघा 14 विस्वा, आराजी नम्वर 571 रकवा 01 वीघा 06 विस्वा, आराजी नम्वर 574 रकवा 01 वीघा 01 विस्वा, आराजी नम्वर 575 रकवा 18 विस्वा, आराजी नम्वर 577 रकवा 16 विस्वा, आराजी नम्वर 578 रकवा 11 विस्वा, आराजी संख्या 584 रकवा 01 वीघा 01 विस्वा, आ0नं0 585 रकवा 01 वीघा 02 विस्वा कुल किता 09 रकवा 08 वीघा 18 विस्वा मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पिता जगरूप पुत्र श्री किशन खारोल के 1/6 हक हिस्से का वादीया को उसके पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 20/07/2009 के वैध होने के आधार पर एवं प्रश्नगत आराजियात को जगरूप खारोल द्वारा पुनः प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में दिनांक 05.11.2009 को विक्रय किये जाने से पश्चात्वर्ती विकय अवैध होकर वादीया के मुकावले शून्यकरणीय एवं निष्प्रभावी होने से वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं0 5 के नाम पर दर्ज वादग्रस्त आराजियात में से वादीया के कयशुदा उक्त आराजियात को प्रतिवादी सं0 5 के राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादीया के नाम पर इन आराजियात को खाते में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 02.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)